

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या1201, 1202 / 2011.....जिला.....कोटा.....

उनवान- राजेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार, कोटा बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, कोटा।

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की त
में जारी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

26.03.2015


एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी - सदस्य
श्री आशा कुमारी - सदस्य


अपीलार्थी अभिभाषक श्री वी.के.पारीक, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।

व्यवसायी फर्म के वकील श्री वी.के.पारीक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें श्री वी.के.पारीक ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।

इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप श्री वी.के.पारीक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।


(आशा कुमारी)
सदस्य


(मनोहर पुरी)
सदस्य

Pla
Dat

Place :
Date :-